10

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
COURT FEE भारत INDIA
COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

न्यायालय श्रीमान राजस्व परिषद म.प्र. ग्वालियर

C.FR0151

प्र.क्र.- R-235-I/09

प्यारेलाल पिता बालु जी घोसी,
निवासी मन्दसौर ..... आवेदक

विरुद्ध

1. सुमतिलाल पिता राजमल जी लोढा
निवासी मंदसौर
2. विनोद पिता रामचन्द्र पालीवाल
निवासी मन्दसौर ..... अनावेदक

श्री प्रकाश शर्मा एडवोकेट द्वारा आज दि. 26.2.09 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

रिविजन प्रार्थना पत्र धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर के अपील क्रमांक 100/07-08 में पारित आदेश दिनांक 31.12.08 से परिवेदित होकर जो न्यायालय तहसीलदार मंदसौर के प्रकरण क्रमांक 30/अ-6-अ/07-08 में पारित आदेश दिनांक 1.7.2008 के विरुद्ध पेश थी ।

माननीय महोदय,

निगरानी के आधार.

§1§ यह कि आदेश अन्तगत रिविजन विधि एवं प्रक्रिया के सर्वथा प्रतिकूल होकर स्थिर रहने योग्य नहीं है ।

§2§ यह कि रिस्पा. ने छोटीबाई वि. बालकिशन के मध्य सिविल न्यायालय वाद चल रहा होने के दौरान न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की कि बालकिशन भूमि को विक्रय, रहन, किसी भी प्रकार से अन्तरण नहीं करें किन्तु बालकिशन के दौराने वाद रिस्पाडेन्ट को भूमि विक्रय कर दी जिसे अतिरिक्त सिविल जज महोदय वर्ग-02 मंदसौर के प्रकरण क्रमांक ....5.S.A.05.......... में अनावेदक के पक्ष में किये गये विक्रय शून्य घोषित कर दिया उक्त आज्ञप्ति के प्रकाश में अनावेदक को भूमि क्रय

भोलाराम / सुमतिराम

XXIX(a)-BR(H)-11

(10)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 235/I/09 जिला - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर मंदसौर के प्रकरण क्रमांक A/100/07-08 में पारित आदेश दिनांक 31-12-08 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर मंदसौर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	